का तामील समन में तहरीर सुदा जाहिर हुआ जो शामिल रहे। प्रतिवादी नं. 3-5 फोरमैट पक्षकार है। पत्रावली में इकबालिया जवाब पेश हो चुके है। तरमीम की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली जानिब वादी हेतु शपथ पत्र की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी पेशी दिनांक 2/7/20 को पेश हो।

Sd/-
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

2/7/20 : वकलाय उभय, साक्ष्य वादी में शपथ पत्र गवाह, ककाराम, रूपाराम के पेश किये जो शामिल रहे। पत्रावली वास्ते बकाया साक्ष्य पेशी दिनांक 05/8/20 को पेश हो।

Sd/-
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

05/8/20 : वकुलाय उभय साक्ष्य वादी में शपथपत्र गवाह कोजाराम, अन्नाराम के पेश हुए जिनपर अन्नाराम गवाह के बयानात कलमबद्ध किये गये। ~~कोजाराम~~ वकील वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पेशी दिनांक 28/8/20 को पेश हो।

Sd/-
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

28/8/20

PO हाजिर अवकाश

आदेश/पत्रावली ... के अधिवक्ता ... निर्देश ... के अनुसार ... प्रकरण ... सूचना दिनांक

7/9/20

7/9/20 : वकुलाय उभय बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद नामला दर्ज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 169/2019
अखाराम बनाम पतासी वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 169/2019

ादी –

1. अखाराम पुत्र आदूराम जाति–जाट निवासी– झोरड़ा तहसील व जिला–नागौर।

बनाम

तिवादीगण –

1. पतासी पुत्री खुमाराम
2. मांगू पुत्री खुमाराम
3. अन्नाराम पुत्र जुगताराम
4. ईश्वरराम पुत्र मानाराम
5. भंवराराम पुत्र किरपाराम
6. कोजाराम पुत्र किरपाराम
7. तिलाराम पुत्र किरपाराम
8. जमना पुत्री किरपाराम
9. गुड्डी पुत्री किरपाराम
10. हीरा पत्नी किरपाराम
11. गिरधारीराम पुत्र मानाराम
12. चुनी पत्नि जुगताराम
13. देवी पत्नि लालाराम
14. धर्माराम दत्तक पुत्र उदाराम
15. धर्माराम पुत्र लालाराम
16. धापू पत्नि मानाराम
17. नन्दराम पुत्र मानाराम
18. नानूराम पुत्र भेराराम
19. पुसाराम पुत्र भेराराम
20. बुधाराम पुत्र भागीरथ
21. नवरत्न पुत्र भागीरथ
22. श्रवण पुत्र भागीरथ
23. रेखाराम पुत्र भागीरथ
24. हरीराम पुत्र भागीरथ
25. छगनी पुत्री भागीरथ
26. शान्ति पत्नी भागीरथ
27. मनोहरी पुत्री मानाराम
28. रतनाराम पुत्र भेराराम
29. रामुराम पुत्र भेराराम

सहायक कलेक्टर * जायल (एस.डी.ओ.) *

07.9.2020
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

30. सुखाराम पुत्र लालाराम
31. सोहनराम पुत्र लालाराम
32. हजारीराम पुत्र लालाराम
33. हमीराराम पुत्र जुगताराम
34. हरचन्द पुत्र खूमाराम
तमाम जाति जाट निवासीगण झोरड़ा तहसील व जिला—नागौर
35. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—
वादी की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 34 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका,
प्रतिवादी संख्या 35 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक :— 07.9.2020**

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुश्तैनी बडेर के खेत ग्राम बोसेरी तहसील जायल व ग्राम झोरड़ा तहसील नागौर मे आय हुये। वादी ने निवेदन किया कि स्व. मोटाराम के 6 पुत्र हुये जिनके नाम खुमाराम, जुगताराम, उदाराम, मेहराराम उर्फ भेराराम, लालूराम व आदूराम हुये। जिनमें से खातेदार धापू, किरपाराम, भागीरथ तथा अणदी का स्वर्गवास हो जाने से के विधिक वारिसान को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। वादी के पिता आदूराम का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी ही उनके पिछे अकेला वारिस है। वादी के पिता का नाम मौजा झोरड़ा में खाता संख्या 19, 141, 142 व 147 में अन्य 5 भाईयों के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। परन्तु मोजा बोसेरी के खेत खसरा नं. 1 रकबा 21.2541 हैक्टेयर में वादी एवं वादी के पिता का नाम सहखातेदारी में दर्ज नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 34 एक परिवार के सदस्य है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक खसरान की भूमि पर 1/6 – 1/6 हिस्सा निहित है। वादी के पिता एवं वादी स्वयं का नाम ग्राम बोसेरी तहसील जायल के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

07.9.2020
सहायक कलक्टर
जायल

राजस्व वाद 169/2019
अखाराम बनाम पतासी वगैरह

30. सुखाराम पुत्र लालाराम
31. सोहनराम पुत्र लालाराम
32. हजारीराम पुत्र लालाराम
33. हमीराराम पुत्र जुगताराम
34. हरचन्द पुत्र खूमाराम
तमाम जाति जाट निवासीगण झोरड़ा तहसील व जिला–नागौर
35. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
वादी की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 34 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका,
प्रतिवादी संख्या 35 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 07.9.2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुश्तैनी बडेर के खेत ग्राम बोसेरी तहसील जायल व ग्राम झोरड़ा तहसील नागौर मे आय हुये। वादी ने निवेदन किया कि स्व. मोटाराम के 6 पुत्र हुये जिनके नाम खुमाराम, जुगताराम, उदाराम, मेहराराम उर्फ भेराराम, लालूराम व आदूराम हुये। जिनमें से खातेदार धापू, किरपाराम, भागीरथ तथा अणदी का स्वर्गवास हो जाने से उनके विधिक वारिसान को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। वादी के पिता आदूराम का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी ही उनके पिछे अकेला वारिस है। वादी के पिता का नाम मौजा झोरड़ा में खाता संख्या 19, 141, 142 व 147 में अन्य 5 भाईयों के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। परन्तु मोजा बोसेरी के खेत खसरा नं. 1 रकबा 21.2541 हैक्टेयर में वादी एवं वादी के पिता का नाम सहखातेदारी में दर्ज नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 34 एक परिवार के सदस्य है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक खसरान की भूमि पर 1/6 – 1/6 हिस्सा निहिरत है। वादी के पिता एवं वादी स्वयं का नाम ग्राम बोसेरी तहसील जायल के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

सहायक कलक्टर

07.9.2020
सहायक कलक्टर
(…) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 169/2019
अखाराम बनाम पतासी वगैरह

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 34 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने वकालातनामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 35 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 34 का इकबालिया जबाव तथा प्रतिवादी संख्या 35 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में दिनांक 02.072020 व 05.08.2020 को पत्रावली में शपथ पत्र गवाह क्रमशः अखाराम, रूपाराम, कोजाराम, अन्नाराम के प्रस्तुत किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम बोसेरी तहसील जायल संवत् 2073-2076 खाता संख्या 88/197 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी ग्राम झोरड़ा तहसील नागौर सम्वत् 2067-2070 खाता संख्या 19, प्रदर्श- 2 व ग्राम पंचायत चाउ पं. स. नागौर का उताराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदर्श-3 पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 34 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब में वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 34 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाब पर मनन किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 35 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है। वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 34 के साथ सहखातेदार बनाने की इस्तदुआ चाही है जो ग्राम बोसेरी की नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076, एवं ग्राम झोरड़ा तहसील नागौर की नकल जमाबंदी सम्वत् 2067-2070 के अवलोकन से साबित है तथा वाद वादी अपने पक्ष में सम्पुष्ठ कराने में सफल रहे है। फलत:

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
07.9.2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 169/2019
अखाराम बनाम पतासी वगैरह

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये न्यायिक दृष्टिकोण से तौर पर स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : —

यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :—

1. वादी अखाराम को ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 01 रकबा 21.2541 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 34 के साथ 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

07.9.2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. जायल

निर्णय आज दिनांक 07.9.2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

07.9.2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 169/2019
अखाराम बनाम पतासी वगैरह

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 169/2019

वादी –
1. अखाराम पुत्र आदूराम
जाति–जाट निवासी– झोरड़ा तहसील व जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. पतासी पुत्री खुमाराम
2. मांगू पुत्री खुमाराम
3. अन्नाराम पुत्र जुगताराम
4. ईश्वरराम पुत्र मानाराम
5. भंवराराम पुत्र किरपाराम
6. कोजाराम पुत्र किरपाराम
7. तिलाराम पुत्र किरपाराम
8. जमना पुत्री किरपाराम
9. गुडडी पुत्री किरपाराम
10. हीरा पत्नी किरपाराम
11. गिरधारीराम पुत्र मानाराम
12. चुनी पत्नि जुगताराम
13. देवी पत्नि लालाराम
14. धर्माराम दत्तक पुत्र उदाराम
15. धर्माराम पुत्र लालाराम
16. धापू पत्नि मानाराम
17. नन्दराम पुत्र मानाराम
18. नानूराम पुत्र भेराराम
19. पुसाराम पुत्र भेराराम
20. बुधाराम पुत्र भागीरथ
21. नवरत्न पुत्र भागीरथ
22. श्रवण पुत्र भागीरथ
23. रेखाराम पुत्र भागीरथ
24. हरीराम पुत्र भागीरथ
25. छगनी पुत्री भागीरथ
26. शान्ति पत्नी भागीरथ
27. मनोहरी पुत्री मानाराम

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

07-9-2020
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 169/2019
अखाराम बनाम पतासी वगैरह

28. रतनाराम पुत्र भेराराम
29. रामुराम पुत्र भेराराम
30. सुखाराम पुत्र लालाराम
31. सोहनराम पुत्र लालाराम
32. हजारीराम पुत्र लालाराम
33. हमीराराम पुत्र जुगताराम
34. हरचन्द पुत्र खूमाराम

तमाम जाति जाट निवासीगण झोरड़ा तहसील व जिला–नागौर

35. तहसीलदार जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 34 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका,
प्रतिवादी संख्या 35 राजपेरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– डिक्री आदेश –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 34 हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका प्रतिवादी संख्या 35 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी अखाराम को ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 01 रकबा 21.2541 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 34 के साथ 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है।

17.9.2020
(स्वदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 169/2019
अखाराम बनाम पतासी वगैरह

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.9.2020. को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि''नर			फीस कमि''नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

07-9-2020

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner